

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/51/2007-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 27-7-2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भा.प्र.से. (उड़ीसा:99) की उड़ीसा से मध्य प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)